चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 02.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ के दृष्टिगत रामघाट, निर्मोही अखाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित निचले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव / बढ़ने-घटने का क्रम जारी है। वर्तमान में जलस्तर खतरे के निशान के करीब बना हुआ है तथा रामघाट के निचले घाट, दुकानें एवं निर्मोही अखाड़ा के समीप कुछ इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, परन्तु एहतियात के तौर पर लगातार निगरानी की जा रही है।
महोदय द्वारा मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों, पुजारियों, दुकानदारों व नाविकों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने हेतु जागरूक किया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश :-
1. जलस्तर निगरानी के संबंध में -
मंदाकिनी का जलस्तर घट-बढ़ रहा है, इस कारण चौकी प्रभारी रामघाट को निर्देशित किया गया कि हर एक घंटे में जलस्तर को नोट कर कंट्रोल रूम को अवगत करायें तथा खतरे की स्थिति में तत्काल अलर्ट जारी किया जाये।
2. सुरक्षा एवं राहत के संबंध में -
रामघाट व निर्मोही अखाड़ा क्षेत्र में जल पुलिस, पीएसी व एसडीआरएफ टीम के साथ समन्वय स्थापित कर 24 घंटे सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा निचले इलाकों में फंसे लोगों को तत्काल बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैरिकेडिंग व यातायात के संबंध में -
जलस्तर के घटने-बढ़ने को देखते हुए घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं के स्नान व आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लाउड हेलर से लगातार अनाउंसमेंट कराई जा रही है।
4. आमजन से अपील -
महोदय द्वारा आमजन से अपील की गयी कि जलस्तर अभी स्थिर नहीं है, घट-बढ़ रहा है, इसलिए नदी किनारे न जायें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 या जिला कंट्रोल रूम नंबर पर तत्काल सूचना दें।
निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी, चौकी प्रभारी रामघाट सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
(3). आज दिनांक 02.09.2026 को जिलाधिकारी, चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा माननीय विधायक, मऊ-मानिकपुर श्री अविनाशचंद्र द्विवेदी जी की उपस्थिति में बाढ़ प्रभावित ग्राम डोडामाफी का भ्रमण कर राहत सामग्री वितरित की एवं क्षतिग्रस्त पुल टिकिरया का निरीक्षण किया गया।
मुख्य बिंदु निम्नवत हैं:-
1. राहत एवं खाद्य सामग्री का वितरण:
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विधायक जी के साथ ग्राम डोडामाफी में बाढ़ से घिरे हुए परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। राहत सामग्री में आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, आलू, बिस्कुट, मोमबत्ती, माचिस एवं पेयजल की बोतलें व अन्य सामान शामिल थीं।
इस दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि जिला प्रशासन एवं पुलिस उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। बीमार एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मेडिकल टीम को मौके पर ही दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
2. क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण:
भ्रमण के दौरान अधिकारियों के संज्ञान में आया कि ग्राम टिकरिया के रास्ते में पड़ने वाला संपर्क पुल बाढ़ के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा माननीय विधायक जी के साथ उक्त क्षतिग्रस्त पुल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग / बाढ़ खण्ड को तत्काल मौके पर बुलाकर पुल की शीघ्र मरम्मत एवं आवागमन सुचारू रूप से प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी मारकुंडी को उक्त पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात करने एवं किसी भी व्यक्ति को क्षतिग्रस्त पुल से न गुजरने देने हेतु निर्देशित किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो।
माननीय विधायक श्री अविनाशचंद्र द्विवेदी जी ने जिला प्रशासन एवं पुलिस के त्वरित राहत कार्यों की सराहना की तथा कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर उपजिलाधिकारी मऊ, तहसीलदार, थाना प्रभारी मारकुंडी सहित राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
(4). आज दिनांक 02.09.2026 को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री ज्योति नारायण द्वारा मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ के दृष्टिगत रामघाट, निर्मोही अखाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित निचले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव / बढ़ने-घटने का क्रम जारी है। वर्तमान में जलस्तर खतरे के निशान के करीब बना हुआ है तथा रामघाट के निचले घाट, दुकानें एवं निर्मोही अखाड़ा के समीप कुछ इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, परन्तु एहतियात के तौर पर लगातार निगरानी की जा रही है।
महोदय द्वारा मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों, पुजारियों, दुकानदारों व नाविकों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने हेतु जागरूक किया गया।
अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश :-
1. जलस्तर निगरानी के संबंध में -
मंदाकिनी का जलस्तर घट-बढ़ रहा है, इस कारण चौकी प्रभारी रामघाट को निर्देशित किया गया कि हर एक घंटे में जलस्तर को नोट कर कंट्रोल रूम को अवगत करायें तथा खतरे की स्थिति में तत्काल अलर्ट जारी किया जाये।
2. सुरक्षा एवं राहत के संबंध में -
रामघाट व निर्मोही अखाड़ा क्षेत्र में जल पुलिस, पीएसी व एसडीआरएफ टीम के साथ समन्वय स्थापित कर 24 घंटे सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा निचले इलाकों में फंसे लोगों को तत्काल बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैरिकेडिंग व यातायात के संबंध में -
जलस्तर के घटने-बढ़ने को देखते हुए घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं के स्नान व आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लाउड हेलर से लगातार अनाउंसमेंट कराई जा रही है।
4. आमजन से अपील -
महोदय द्वारा आमजन से अपील की गयी कि जलस्तर अभी स्थिर नहीं है, घट-बढ़ रहा है, इसलिए नदी किनारे न जायें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 या जिला कंट्रोल रूम नंबर पर तत्काल सूचना दें।
निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी, चौकी प्रभारी रामघाट सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
(5). जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा ग्राम पंचायत डोडा माफी के डोडा माफी टैंक का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता सिंचाई प्रखंड प्रथम कर्वी श्री एस के प्रसाद द्वारा अवगत कराना है कि मध्यप्रदेश की सीमा में 27.08. 2026 एवं 28.08.2026 में वीरसिंह पुर तहसील क्षेत्र में 135.20

एम०एम० एवं मझगवां तहसील में 81.60 एम०एम० वर्षा होने के कारण डोडा माफी टैंक में लगभग 6500 क्यूसेक से अधिक पानी की आवक के कारण टैंक का जलस्तर बढने लगा। टैंक में पानी के जलस्तर बढ़ते ही अतिरिक्त जल निकासी हेतु 29.08.2026 को प्रातः 3:00 बजे टैंक के दोनो स्पिलवे गेट खोल दिये गयें। क्योकि स्पिलवे गेट की क्षमता 3500 क्यूसेक है, जबकि टैंक में लगभग 6500 क्यूसेक से अधिक पानी आ रहा था। स्पिलवे गेट से सम्पूर्ण अतिरिक्त पानी की निकासी सम्भव नही हो पा रहा था, जिसके कारण टैंक का जलस्तर एफ०आर०एल० से ऊपर पहुंचने लगा। टैंक की सुरक्षा के दृष्टिगत स्पिलवे गेंट के बायें तरफ जमीन कटवा दिया गया जिससे अतिरिक्त पानी निकल गया। वर्तमान में जलाशय का जलस्तर एफ०आर०एल० से नीचे है। टैंक के दोनो स्पिलवे गेट खुले हुये है। टैंक पूर्णतः सुरक्षित है। सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर द्वारा लगातार टैंक पर आवस्थान करके निगरानी की जा रही है। स्पिलवे गेंट के बायें तरफ क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करायी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि उसे अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कराया जाए जिससे कि पानी को पुनः एकत्रित किया जा सके।पानी संचयन से आस-पास के लोगों को कृषि व अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सके।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 02.09.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 52/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राज बहादुर उर्फ लाल बहादुर पुत्र श्यामलाल रैदास निवासी कलवारा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 6956/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।